प्रस्तावना

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिये भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत राजस्थान के राज्यपाल महोदय को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 तथा इसके अन्तर्गत नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखा एवं लेखापरीक्षा विनियमन, 2007 के तहत, राजस्थान राज्य के राजस्व एवं आर्थिक क्षेत्र के प्रमुख विभागों में सम्पादित प्राप्ति एवं व्यय लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम शामिल हैं।

इस प्रतिवेदन में उल्लेखित मामले उनमें से हैं जो वर्ष 2018-19 के दौरान अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा के समय ध्यान में आये तथा उनमें से भी हैं जो पूर्ववर्ती वर्षों में ध्यान में आये थे, किन्तु विगत प्रतिवेदनों में शामिल नहीं किये जा सके तथा जहाँ कहीं आवश्यक हुआ वहां वर्ष 2018-19 के बाद के प्रकरण भी शामिल हैं।

लेखापरीक्षा, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप की गयी है।